परिपत्र संख्या-जी0एस0टी0/कं0परि0सं0-2223019 /2022-23/ 150 /वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(जी0एस0टी0 अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 10 जून, 2022

समस्त,

अपर आयुक्त ग्रेड-1,

अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0),

संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0/कार्यपालक),

उपायुक्त/सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी,

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः प्रान्तीय अधिनियम की धारा-10 के अन्तर्गत कर का भुगतान करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे प्रान्तीय अधिनियम कहा गया है) की धारा-10 एवं उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे प्रान्तीय नियमावली कहा गया है) के नियम-3 से नियम-7 तक के प्रावधानों के अन्तर्गत कर का भुगतान करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों की ई-वेबिलों के माध्यम से रु.1.50 करोड़ से अधिक इनवर्ड आपूर्ति अथवा आउटवर्ड आपूर्ति से सम्बन्धित प्राप्त एम0आई0एस0 रिपोर्ट की जोनवार समीक्षा पर निम्न बिन्दु प्रकाश में आए हैं -

(i) प्रान्तीय अधिनियम की धारा-10 के अन्तर्गत कर भुगतान करने वाले अनेक पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा रु.1.50 करोड़ से अधिक की इनवर्ड आपूर्ति प्राप्त की जा रही है परन्तु इनवर्ड आपूर्ति के सापेक्ष वास्तविक आउटवर्ड आपूर्ति प्रदर्शित नहीं की जा रही है।

(ii) अनेक मामलों में इनवर्ड आपूर्ति से सम्बन्धित इनवायस की धनराशि एवं ई-वेबिल की धनराशि में भारी अन्तर होना प्रकाश में आया है।

(iii) कम्पोजिशन लिमिट से अधिक टर्नओवर होने पर नियमित करदाता की श्रेणी में आने वाले पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा नियमानुसार प्रस्तुत FORM GST ITC 01 का परीक्षण नहीं किया गया है।

(iv) प्रान्तीय अधिनियम की धारा-10 की उपधारा-(2A) के अन्तर्गत कर का भुगतान करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रान्तीय नियमावली के नियम-7 में निर्धारित दर से कर का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

समीक्षा के दौरान प्रकाश में आए उपर्युक्त प्रतिकूल बिन्दुओं से यह परिलक्षित होता है कि प्रान्तीय अधिनियम की धारा-10 के अन्तर्गत कर का भुगतान करने वाले करदाताओं से प्राप्त होने वाले कर का परीक्षण पोर्टल पर उपलब्ध विवरणों से न तो खण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है एवं न ही पर्यवेक्षणीय एवं नियंत्रक अधिकारियों द्वारा इसका नियमित

अनुश्रवण किया जा रहा है। अत: प्रान्तीय अधिनियम की धारा-10 के अन्तर्गत कर का भुगतान करने वाले करदाताओं के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिए जाते हैं -

1. कम्पोजिशन डीलर द्वारा ई-वेबिल के माध्यम से रु.1.50 करोड़ से अधिक मूल्य की इनवर्ड आपूर्ति के मामलों की गहन समीक्षा की जाए। ई-वेबिल में मानवीय भूलवश त्रुटिपूर्ण अंकित धनराशि के मामलों में सम्बन्धित विक्रेता के FORM GSTR-1/3B/2A से मिलान करना सुनिश्चित किया जाय।

2. कम्पोजिशन लिमिट से अधिक इनवर्ड आपूर्ति प्राप्त करते हुए कम्पोजिशन लिमिट के अन्दर टर्नओवर घोषित करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के घोषित व्यापार स्थल के क्षेत्रफल के दृष्टिगत अभिलेखानुसार उपलब्ध स्टॉक के भण्डारण की क्षमता का प्रथम दृष्टया आंकलन में प्रतिकूलता पाए जाने पर प्रान्तीय नियमावली के नियम-6(4) के अन्तर्गत FORM GST CMP-05 में कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए नियमानुसार अग्रतर वांछित कार्यवाही समयान्तर्गत की जाय।

3. कम्पोजिशन से नियमित करदाता की श्रेणी में आने वाले पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रान्तीय अधिनियम की धारा-18(1)(c) एवं नियम-6(6) के अन्तर्गत प्रस्तुत FORM GST ITC 01 का परीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि एक वर्ष से पूर्व की तिथि की टैक्स इनवायस में प्रभारित कर का लाभ ITC के रूप में नहीं लिया गया है।

4. प्रान्तीय अधिनियम की धारा-10(2A) के अन्तर्गत आपूर्ति के घोषित टर्नओवर पर 3 प्रतिशत दर से राज्य कर की देयता का भुगतान कराना सुनिश्चित किया जाय।

5. माड्यूल पर उपलब्ध मामलों की जांचोपरान्त प्रतिकूल पाए जाने वाले मामलों में कृत कार्यवाही की प्रविष्टि सम्बन्धित माड्यूल में सुनिश्चित की जाय।

6. प्रान्तीय अधिनियम की धारा-10 के अन्तर्गत कर का भुगतान करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में उपलब्ध डाटा एवं आसूचना (Intelligence) के आधार पर विधिक कार्यवाही करते हुए नियमित अनुश्रवण किया जाय।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

10/6/2022

(मिनिस्ती एस.)
आयुक्त
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।